न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 55 / 2021

कानी देवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण यादव उम्र 70 वर्ष जाति अहीर, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

– वादीया

बनाम

1. गोकुल पुत्र कानाराम
2. रामधन पुत्र सुन्दर
3. रामस्वरूप पुत्र नाथू
4. बाबूलाल पुत्र नारायण
5. मदनलाल पुत्र नारायण

समस्त व्यस्क समस्त जाति अहीर समस्त निवासी बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय 12-11-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 757 के हाल खसरा नम्बर 2024 / 2498 / 0.14 है0 व 2025 / 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 है0 वाके ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसका वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। नकल सम्वत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र पेश है।

वाद पत्र के जिमन संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में वादीया के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति या प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। उकत वर्णित भूमि पर वादीया खरीद समय से ही उसके कब्जे व अधिकार मे चली आ रही है तथा बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है।

वादीया दिनांक 21.06.2021 को सुबह अपने खेत की देखरेख कर रही थी तो प्रतिवादीगण एकराय होकर हाथों में लाठी, सरिया, फावडा व कुल्हाडी तथा ट्रैक्टर लेकर वादीया की उक्त खातेदारी भूमि में घुस गये तथा जबरन कब्जा करने के लिये ट्रैक्टर चलाकर जुताई करने लग गये और सीमा पर लगे पत्थरों को उखाडकर फेंक दिया। जब वादीया ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो वादीया के साथ प्रतिवादीगण ने गाली गलौच किया तथा मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीया को ऐलानियां धमकी दी कि हम तुम्हारी खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेगें तथा मौका देखकर ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई करके रहेगें और अगर ऐसा करने से मना किया तो तुझे जान से खत्म कर देगें। तथा वादीया के साथ लडाई झगडा करने पर आमदा हो गये इस कारण न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने हेतु वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 757 के हाल खसरा नम्बर 2024 / 2498 / 0.14 है0 व 2025 / 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.29 है0 वाके ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

जिला जयपुर में स्थित भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीया की भूमि से वादीया को बेदखल नही करे शांतिपूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग करने देवे।

वादीगण का प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया किन्तु समन्न तामिल के बावजूद भी प्रतिवादीगण प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये इस पर प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाहीअमल में लाई गई।

प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त हाल आराजी खाता संख्या 757 के हाल खसरा नम्बर 2024/2498/0.14 है0 व 2025/0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि वादीया के नाम दर्ज है

अतः दावा वादिया डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे हाल आराजी खाता संख्या 757 के हाल खसरा नम्बर 2024/2498/0.14 है0 व 2025/0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर वादिया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत व बाधा पैदा नहीं करें वादिया को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें

निर्णय आज दिनांक 12-11-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन)

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)

शाहपुरा, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर

शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 92/2021

1. कानी देवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण यादव उम्र 70 वर्ष जाति अहीर, निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

– वादीया

बनाम

1. गोकुल पुत्र कानाराम
2. रामधन पुत्र सुन्दर
3. रामस्वरूप पुत्र नाथू
4. बाबूलाल पुत्र नारायण
5. मदनलाल पुत्र नारायण

   समस्त व्यस्क समस्त जाति अहीर समस्त निवासी बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय 12-11-2022

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

अतः दावा वादिया डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे हाल आराजी खाता संख्या 757 के हाल खसरा नम्बर 2024/2498/0.14 है0 व 2025/0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर वादिया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत व बाधा पैदा नहीं करें वादिया को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें

आज तारीख 12-11-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प ...... रुपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	